न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/635

1. रामफूल पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोराडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. मोहनलाल पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोराडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. लालसिंह पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. विश्वराज पुत्र रामनारायण, जाति माली निवासी ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. अटल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी ग्राम मोराडी चक नम्बर 3, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
5. बीला पुत्री रामनारायण पत्नि हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
6. स्वास्ति पुत्री रामनारायण पत्नि मोहनलाल जाति माली निवासी सकट्या झील जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 12.06.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी कैलाशचन्द बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुर्जर, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4, 6 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :– 08.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.06.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 05.11.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नं 103, 106, 110, 111, 113, 211/93, 65, 114, 100 ग्राम मोराडी चक नं. 03 तहसील बांदीकुई, जिला दौसा में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है, जिसको प्रार्थीगण अर्सेदराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है। भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्तकारान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जो कि प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं, आये दिन खेतों के मध्य बनी हुई डोल/मेड को तोड़ते रहते हैं जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के यहाँ दिनांक 03.05.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 29.05.2024 का हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पड़ौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन हैरान परेशान करते रहते हैं।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 103, 106, 110, 111, 113, 211/93, 65, 114, 100 स्थित ग्राम मोराडी चक नं. 03 तहसील बांदीकुई, जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा, सीमाज्ञान ग्राम मोराडी चक नं. 03 दिनांक 29.05.2024 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू.अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करने एवं थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें तथा तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामफूल पुत्र रामप्रताप वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 12.06.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2024 न्याय, नियम, प्रक्रिया के विरूद्ध होने की गरज से चलने योग्य नही है व निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्तकारान जो कि प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आये दिन खेतों के मध्य बनी हुई डोल/मेड को तोडते रहते है, जिससे आये दिन झगडा फसाद करते रहते है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र धारा 128 लै०रे०एक्ट पेश किया है। पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.2024 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट विवादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदार है। अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 115, 116, 116/92, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 204/61, 62 ग्राम मोराडी चक नम्बर 3 में ही स्थित है, जिसकी जमाबंदी, नक्शा अपील के साथ पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एवम अपीलांट की भूमि एक दूसरे के लगते हुई है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उनवानी दावा रामफूल बनाम अटलबिहारी दावा इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा बाबत खसरा नम्बर 115 व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जो जैर लम्बित है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलांट की भूमि नक्शा शीट में गलत तरमीम कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 111 में अवैध रूप से मिलाकर अपीलांट का रकबा 0.04 है० कम कर उक्त रकबे को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 111 में गलत तरमीम कर दी गई। जिसकी दुरुस्ती हेतु भू प्रबंध से पूर्व की स्थिति अनुसार

नक्शा शीट में दुरूस्ती की जावे। अपीलांट का वाद पत्र जैर लम्बित है, जिसमें रेस्पोडेन्ट भी पक्षकार प्रतिवादी है। पक्षकारान में आपसी विवाद, वाद की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार प्रतिवादी नही बनाकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.2024 एकपक्षीय अपीलांट को सुनवाई किये बगैर जारी फरमाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 अपीलांट अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड की आड में अपीलांट के हक अधिकारों की भूमि को हडपना चाहते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से मिलीभगत कर आदेश जारी करवाया गया है, जो काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट द्वारा छलपूर्ण आदेश प्राप्त किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हो सकी परन्तु दिनांक 18.10.2024 को हल्का पटवारी गिरदावर से जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश है तो फिर भी रफाए हुज्जत दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ बाद इजाजत अपील श्रवणार्थ पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पड़ौसी खातेदारों द्वारा मेड तोडना, भूमि को दबाना अंकित किया है परन्तु आवश्यक पक्षकार पडौसी खातेदारान को पक्षकार अप्रार्थी नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा दुरुस्ती का वाद पेश कर रखा है। अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ व्यथित पक्षकारान की ओर से अपील अपीलांट पेश है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 अपीलांट अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड की आड में अपीलांट के हक अधिकारों की भूमि को हडपना चाहते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से मिलीभगत कर आदेश जारी करवाया गया है, जो काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट द्वारा छलपूर्ण आदेश प्राप्त किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हो सकी परन्तु दिनांक 18.10.2024 को हल्का पटवारी गिरदावर से जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश है यदि फिर भी अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारों द्वारा मेड तोडना, भूमि को दबाना अंकित किया है परन्तु आवश्यक पक्षकार पडौसी खातेदारान को पक्षकार अप्रार्थी नही बनाया गया। अपीलांट द्वारा दुरूस्ती का वाद पेश कर रखा है। बिना अपीलांट को पक्षकार बनाए पीठ पीछे पोशी आदेश पारित फरमाया गया है जिससे अपीलांट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है व एग्रीव्ड परसन होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने के कानूनन अधिकारी है जिसकी अनुमति धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपीलांट प्रार्थी को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2024 से सीधे प्रभावित पक्षकार होने के कारण धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नं 103, 106, 110, 111, 113, 211/93, 65, 114, 100 ग्राम मोराडी चक नं.

03 तहसील बांदीकुई, जिला दौसा में स्थित है, जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है, जिसको प्रार्थीगण अर्सेदराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है। भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्तकारान जो कि प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं, आये दिन खेतों के मध्य बनी हुई डोल/मेढ को तोडते रहते हैं जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के यहाँ दिनाक 03.05.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 29.05.2024 का हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पडौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन हैरान परेशान करते रहते हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांकः 29.05.2024 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगडों से मुक्ति मिल सके।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 103, 106, 110, 111, 113, 211/93, 65, 114, 100 स्थित ग्राम मोराडी चक नं. 03 तहसील बांदीकुई, जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा, सीमाज्ञान ग्राम मोराडी चक नं. 03 दिनांक 29.05.2024 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू.अ.निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करने एवं थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें तथा तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.10.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के संलग्न ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित व पीडित पक्षकार है। अपीलान्ट्स यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 का किस प्रकार पडौसी खातेदार एवं सह खातेदार है। अपीलान्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नं 103, 106, 110, 111, 113, 211/93, 65, 114, 100 ग्राम मोराडी चक नं. 03 तहसील बांदीकुई, जिला दौसा में स्थित है, जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 103, 106, 110, 111, 113, 211/93, 65, 114, 100 स्थित ग्राम मोराडी चक नं. 03 तहसील बांदीकुई, जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा, सीमाज्ञान ग्राम मोराडी चक नं. 03 दिनांक 29.05.2024 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू.अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करने एवं थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें तथा तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर